न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 25/2022

1. रघुवीर सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन रामसरा तहसील नोहर हाल बग्गुवाली तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

–अपीलान्ट

बनाम

1. मलकीत सिंह पुत्र चन्दसिंह जाति जटसिख साकिन रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल रेस्पोडेन्टस

3. गुरदेवसिंह पुत्र मालासिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन. टी. आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. मखनसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
5. नायबसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
6. सतवीरसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन. टी. आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
7. मलकितसिंह पुत्र रामसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन. टी. आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
8. सरजीतकौर पत्नी चानणसिंह जाति जटसिख साकिन ढ़ाणी मोधूवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
9. सुन्दरसिंह पुत्र पालाराम जाति जाट साकिन सोती पड़िहारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
10. पवनकुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन ढढ़ेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
11. प्रतापसिंह पुत्र नारायणराम जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
12. लालचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

26/09/23

13. रामकुमार पुत्र लालचन्द जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
14. रामेश्वरी पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
15. ममता पुत्री औमप्रकाश जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
16. विनोकुमार पुत्र औमप्रकाश जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
17. प्रहलादराम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
18. मंजूबाला पत्नी संदीपकुमार जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
19. जिन्द्रपाल पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
20. सुरेन्द्रकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
21. शांन्ति देवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
22. भागीरथ पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
23. बालुराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
24. महेन्द्र पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
25. अमरसिंह पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
26. दर्शनसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
27. वीरसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन.टी.आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
28. मोहनजीतसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन.टी. आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
29. जसविन्द्र कौर पुत्री गुरदेवसिंह जाति जटसिख साकिन चक 24 एन.टी. आर. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)
26/09/23

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अपीलांट

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1

निर्णय

दिनांकः–26/09/2023

अपीलांट रघुवीरसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख साकिन रामसरा तहसील नोहर हाल बग्गुवाली तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा) ने विरूद्व निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) नोहर दिनांक 26.09.2016 जिसमें इन्तकाल नं0 615 रोही चक 16 जे. एस. एन. विधि विरूद्व दर्ज व तस्दीक किया गया को, निरस्त करवाने अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–.

1. नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह दिनांक 30.04.2021 को फौत हो गया, जिसका एक मात्र जायज वारिस अपीलान्ट ही है।
2. रोही मौजा चक 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 78/80 के प.न. 334/407 (55) के कि.न. 11 ता 14 की 1.012, 15/.228, 16/.228, 17 ता 24 की 2.024, 25/.227, प.न. 335/408 (56) के कि.न. 11 ता 13 की .759, 18 ता 23 की 1.518, प.न. 335/408 (63) के कि.न. 1 ता 3 की 0.759, 8 ता 11 की 1.012, 12 ता 13 की .506, 18 ता 23 की 1. 518, प.न. 334/408 (64) के कि.न. 1 ता 4 की 1.012, 5/228, 6/.228, 7 ता 10 की 1.012, 11 ता 14 की 1.012, 15/.228, 16/.228, 17 ता 20 की 1.012, 21 ता 24 की 1.012, 25/.227, मु.न. 88 के कि.न. 47/4 की 0.2020 गै.मु. खाला कुल 16.1920 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट के पिता एवं रेस्पोडेन्टस की मुस्तरका खाते की खातेदारी भूमि थी, जिसके मुस्तरका खातेदार काश्तकार थे। सभी ने आपसी सहमति से मुताबिक हक व हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त दिनांक 16.09.2016 को खाता विभाजन करवाया था।
3. खाता विभाजन दिनांक 16.09.2016 के आधार पर अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 को चक न. 16 जे.एस.एन. तहसील नोहर जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 के खाता संख्या 78/80 के प.न. 334/408 (64) के कि.न. 1 ता 4 की 1.012, 5/.228 नहरी 0.025 गै. मु. खाला प.न. 335/408 (63) के कि.न. 1 की 0.253 कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि ब.हि.ब. प्राप्त हुई थी, जिसके मुस्तरका खातेदार काश्तकार थे।
4. खाता विभाजन दिनांक 16.09.2016 के आधार पर तहसीलदार (भू.अ.) नोहर द्वारा दिनांक 26.09.2016 को इन्तकाल नं. 615 चक 16 जे.एस.एन. तस्दीक किया गया, उसमें अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह का नाम दर्ज होने से रह गया एवं विवादित भूमि अकेले रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाम दर्ज कर दी गई, जिससे अपीलान्ट के खातेदारी

26/09/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

हकूक का हनन् होता है। इसलिए अपीलान्ट इन्तकाल नं. 615 चक 16 जे.एस.एन. को निरस्त करवा कर प.न. 334/408 (64) के कि.न. 1 ता 4 की 1.012, 5/.228 नहरी 0.025 गै.मु. खाला प.न. 335/408 (63) के कि.न. 1 की 0.253 कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि ब.हि.ब. अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है, इसलिए विधि विरूद्व इन्तकाल निरस्त योग्य है।

5. खाता विभाजन दिनांक 16.09.2016 के आधार पर तहसीलदार (भू.अ.) नोहर द्वारा दिनांक 26.09.2016 को इन्तकाल नं. 615 चक 16 जे.एस.एन. तस्दीक करते समय अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। कानूनन् किसी प्रकार का निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। ना ही मातहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। सिर्फ जल्दबाजी में विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।
6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 2 ने साजिशाना तरीके से विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह के नाम होने के बावजूद भी इन्तकाल नं. 615 में नाम दर्ज नही किया है, जिससे अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह के साथ अन्याय व विश्वासघात हुआ है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।
7. मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का विधिवत रूप से कोई अवसर नहीं दिया ना ही कब्जा संम्बधी जांच की। यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।
8. मातहत अदालत को निर्णय करने से पूर्व कब्जा सम्बधी जांच कर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का विधिवत रूप से अवसर दिया जाना चाहिए था जबकि पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, जो मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।
9. मातहत अदालत का निर्णय स्वेच्छाचारी, मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है, जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए निरस्त योग्य है।
10. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।
11. विवादित भूमि पहले अपीलान्ट के पिता नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह के कब्जा काश्त में चली आ रही थी एवं अब अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही हैं एवं अपने हक व हिस्सा की एवं कब्जा काश्त की भूमि को लगातार काश्त करता आ रहा है। अब नक्षत्रसिंह पुत्र चन्दसिंह के फौत होने पर विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत रिकार्ड

26/9/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

को देखा तो जानकारी हुई की रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने इन्तकाल नं. 615 दिनांक 26.09.2016 के द्वारा समस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाली है। तब विधि विरूद्व निर्णय की नकल लेने बाबत् कार्यवाही की जो बाद तैयारी प्राप्त होने पर विधि विरूद्व निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी होते ही वकील के मेंहन्ताना की व्यवस्था कर वकील से सम्पर्क किया एवं तुरन्त अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

12. अपील अदालत के क्षेत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फिस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है। लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इन्तकाल नं. 615 चक 16 जे. एस. एन. तहसील नोहर दिनांक 26.09.2016 अपीलान्ट की हद तक निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से श्री मदन मोहन जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 की रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस से तामिल करवाई गई। अधिवक्ता अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 29 को तर्क किया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि नामान्तरण संख्या 615 दिनांक 26.09.2016 चक 16 जे.एस.एन. की 16.1920है0 भूमि अपीलांट रेस्पोडेन्ट की मुस्तरका खाता की भूमि। वर्ष 2016 में खाता विभाजन सहमती से करवाया गया। खाता विभाजन में नक्षत्रसिंह व मलकीत सिंह को 6 बीघा भूमि ब.हि.ब. मिली। खाता विभाजन 16.09.2016 के आधार पर नामान्तरण संख्या 615 दिनांक 20.09.2016 की अपील पेश की है, उसमें अपीलांट के पिता का नाम रह गया। इंतकाल से पूर्व सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला। रेस्पोडेन्ट संख्या– 1, 2 ने आपसी मिलीभगत से कार्यवाही की और हमारे साथ विश्वासधात हुआ। अतः यह नामान्तरण निरस्त योग्य है। म्याद अधिनियम प्रार्थना–पत्र 5 संलग्न अपील है। दिनांक 16.09.2016 का निर्णय का अवलोकन किया जाए कि मेरा नाम दर्ज कर, काटा गया है। इंतकाल में भी कटिंग है, जो विधि विरूद्ध है। अपील का जवाब पेश किया है जिसकी मद संख्या 3 में सहमती से खाता विभाजन बताया। मद संख्या–04 लिखा कि जमीन मलकीत सिंह के पक्ष में त्याग की थी। क्या निर्णय में कटिंग से हक समाप्त होता है। अगर त्याग है तो हक त्याग होना चाहिए। विभाजन में नक्षत्रसिंह के हस्ताक्षर है। मुझे स्वीकार है। बंटवारा है तो नियमानुसार कार्यवाही करे। मद संख्या–06 मेरी सहमति खाता विभाजन बाबत है हक त्याग हेतू नहीं। अगर सहमति होती तो विधि से ही मेरा नाम कलमजन हो सकता है। जहां तक म्याद का प्रश्न है, जानकारी के बाद कभी भी चैलेंज हो सकता है क्योंकि विधि विरूद्ध निर्णय है। इस हेतू निम्न दृष्टांत पेश किये–RRD 1998 Page no. 319 to 324 । अतः हमारी हद तक नामान्तरण निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में कोई राजीनामा हुआ था,उसमें नक्षत्रसिंह ने हक त्याग किया, जिसमें नक्षत्रसिंह के हस्ताक्षर है। खाता विभाजन में हस्ताक्षर

26/09/23

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

है। दिनांक 16.09.2016 खाता विभाजन बहाल है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। खाता विभाजन में भी हस्ताक्षर है। इस भूमि में इसका कहीं नाम नहीं है। खाता विभाजन की अपील होनी चाहिए थी। इनका कब्जा नहीं है। कोई गिरदावरी भी पेश नहीं की है। Evidence Act.का section 5 में सहमति पर हस्ताक्षर है। अपील देरी से पेश की है। अपीलांट का कहना है कि पिता की मृत्यु के पश्चात नामान्तरण दर्ज करवानें की कोशिश की तभी जानकारी हुई। जबकि देरी बाबत् कोई पर्याप्त कारण नहीं दिया। RLR Act में Sec. 78 में अपील के लिए 30 दिवस निर्धारित है लेकिन अपील 6 वर्ष पश्चात पेश की गई। अतः खारिज योग्य है। इस हेतू निम्न दृष्टांत पेश किये–

1. RRD(2) Civil court Case Page no. 158 (S.C.)
2. 2019 RBJ Page no. 20
3. 2019 RBJ 24 [khangar Singh s/o Durg Singh, Rajput R/0 Chitalwana Tehsil Sanchor District jalore ***Versus*** State of Rajasthan

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में पुनः कथन किया कि गलत विभाजन है तो स्वतंन्त्र कार्यवाही करें, हक त्याग विधिवत नहीं है। जब खाता विभाजन बहाल है तो उसे चुनौती देते। खाता विभाजन के पश्चात नामान्तरण गलत हुआ है। राजीनामा दिनांक 05.10.2016 का है जबकि दिनांक 16.09.2016 को विभाजन हो चुका था।

हमनें अधिवक्तागण की बहस सुनी एंव पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में सलंग्न समस्त दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न खाता विभाजन एंव दोनों पक्षकारों (नक्षत्रसिंह एंव मलकीतसिंह) के हस्ताक्षर दर्ज है। दोनों दस्तावेजात में दर्ज हस्ताक्षर (नक्षत्रसिंह) समान है। अतः यह माना जा सकता है कि दोनों भाईयों के मध्य कोई राजीनामा रहा होगा। जिसके कारण यह भूमि मलकीत सिंह के हिस्से में आई होगी। अपीलांट द्वारा वर्ष 2016 में भरे गये नामान्तरण पर प्रश्न चिन्ह् कारित किया है परन्तु देरी का कारण नहीं बताया। ऐसे में म्याद का बिन्दु महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु है। म्याद के बिन्दु पर रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत पूर्णतया लागू होते है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलांट साफ नीयत से न्यायालय में नहीं आए है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होनें के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.09.2023 को लिखा जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

26/09/2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)